

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 49/ 2002/30-3-14-32एम/2013टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई, 2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 138 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या-41/1577/30-3-14-32एम/2013टी0सी0, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना और उपभोग के सम्बन्ध में।	2-	(1) उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सुदृढीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कोष की स्थापना की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष के नाम से जाना जायेगा। (2) इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो हेतु किया जायेगा :- (क) समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और नगरीय मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचरण एवं मार्ग उपभोक्ताओं के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना, (ख) दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन एवं उनके लिये सुधार के उपाय करना, (ग) सड़क दुर्घटना के आँकड़े एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, (घ) वाहन चालन हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाना, (ङ) यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकता पैदा करना, (च) सड़क दुर्घटनाओं के प्रवर्तन और नियंत्रण हेतु संयंत्रों की व्यवस्था करना।
परिभाषायें	3-	जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :- (क) "कोष" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" से है। (ख) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य एक कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ बारह मास की होने वाली अवधि से है। (ग) "अधिनियम" का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 से है। (घ) "राज्य" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य" से है।

<p>कोष का लेखा वर्गीकरण एवं वित्तीय प्रक्रिया</p>	<p>4-</p>	<p>(1) एक पृथक उपशीर्ष "03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" खोलकर इस कोष को स्थापित किया जायेगा जो लेखाशीर्ष "8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-200-अन्य निधियों-03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" के अधीन होगा।</p> <p>(2) कोष को अन्तरित की जाने वाली धनराशि को गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाएगा जिसे लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण और अनुदान संख्या-43 के परिवहन विभाग के लेखाशीर्षक "3055-सड़क परिवहन-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण" के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा।</p> <p>(3) कोष से उपरोक्त उद्देश्यों पर व्यय हेतु आवश्यक प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-800-अन्य व्यय-15-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" और "4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-13-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" और परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्षक "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" तथा "5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र" के अन्तर्गत किया जायेगा।</p> <p>होने वाले व्यय को एक ही समय उपर्युक्त कार्यात्मक शीर्ष के नामे डाला जायेगा और उस व्यय को कार्यात्मक शीर्ष भाग-4 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसे उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से पूर्ण होने वाली धनराशि में भी प्रदर्शित किया जायेगा।</p> <p>वर्ष के अन्त में उक्त व्यय की गयी धनराशि को उपरोक्त निधि के शीर्ष संख्या-8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-200-अन्य निधियों के अधीन एक पृथक उपशीर्ष "03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" के व्यय पक्ष में पुस्तांकित किया जायेगा।</p>
<p>कोष के स्रोत</p>	<p>5-</p>	<p>(1) पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि समेकित निधि के लेखाशीर्ष "0041-वाहन कर-101-भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ-02-प्रशमन शुल्क से प्राप्तियाँ-03-जुर्मान आदि से प्राप्तियाँ-0301-परिवहन विभाग द्वारा वसूली गयी धनराशि-0302-पुलिस विभाग (यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस) द्वारा वसूली गयी धनराशि"</p> <p>(2) इस कार्यवाही से किसी वित्तीय वर्ष में एकत्रित की गयी धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार बजट प्राविधान अगले वित्तीय वर्ष में कराकर जमा करायी जायेगी।</p>

		(3) यदि कोई वित्तीय अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया जायेगा।	
प्रादेशिक सीमा	6-	ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य हैं, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किये जायेंगे।	
कोष की प्रबन्धन समिति	7-	(1) इस कोष के लिये परिवहन विभाग प्रशासनिक विभाग होगा और यह कोष निम्नवत् गठित समिति द्वारा संचालित किया जायेगा :-	
		1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
		2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		6. प्रमुख सचिव, विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		7. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		8. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		9. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		11. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	सचिव
		12. निदेशक, यातायात पुलिस, उत्तर प्रदेश।	सह-सचिव
		13. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य।	सदस्य
		(2) यह समिति "कोष की प्रबन्धन समिति" कही जायेगी। समिति के सभी सदस्य पदेन होंगे।	
		(3) एक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में कोष की प्रबन्धन समिति की कम से कम एक बैठक होगी।	
		(4) कोष की प्रबन्धन समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) 06 सदस्यों का होगा।	
कोष की प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्तव्य	8-	(1) समिति इस कोष से वित्त पोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी। (2) समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी। (3) समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।	
कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें	9-	कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें निम्नवत् होंगी :- (क) योजनाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे मानकों के अनुरूप किया जायेगा। (ख) कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनाएँ/परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जायेगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके।	

		<p>(ग) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सामान्य कार्मिकों के वेतन तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का वेतन भुगतान कोष की प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोपरान्त कोष से किया जायेगा।</p> <p>(घ) कोष से सम्बन्धित किसी भी धनराशि का विनिधान किसी भी दशा में ब्याज अर्जित करने के लिये सावधि जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा।</p> <p>(ङ) कोष से स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की गयी है।</p>
<p>कोष से करायी जाने वाली योजनायें/कार्य</p>	<p>10-</p>	<p>कोष द्वारा निम्नलिखित योजनायें/कार्य वित्त पोषित हो सकते हैं :-</p> <p>(क) सड़क सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित कार्य, जो निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(एक) दुर्घटना के मामले में जनसामान्य की सुरक्षा एवं मृत्यु की दर में कमी हेतु त्वरित आवश्यकता के अनिवार्य/नियामक चेतावनी एवं सूचनात्मक सड़क संकेत के बोर्ड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आदि लगाया जाना/रख-रखाव, जहाँ अन्य विभागों द्वारा लगाया जाना/रख-रखाव किया जाना सम्भव न हो;</p> <p>(दो) सड़क दुर्घटना के आँकड़ों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण तथा नियंत्रण हेतु "सड़क दुर्घटना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम" लागू करना;</p> <p>(तीन) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना;</p> <p>(चार) दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करान हेतु एम्बुलेंस तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों आदि का क्रय, उनके रख-रखाव, एम्बुलेंस के चालक का वेतन एवं प्रयुक्त होने वाले ईंधन आदि पर व्यय।</p> <p>उपरोक्त उद्देश्यों पर होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-"3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" से किया जायेगा।</p> <p>(पाँच) सड़क दुर्घटना के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात उनको सही करने/सुधार के उपाय निकालना तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन करना;</p> <p>(छः) यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा हेतु उपकरणों का क्रय एवं रख-रखाव करना;</p> <p>(सात) पुलिस विभाग के पास उपलब्ध क्रेनों के रख-रखाव एवं उपयोग हेतु आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना;</p>

		<p>(आठ) ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ करने हेतु परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक की स्थापना कराना;</p> <p>(नौ) व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जाँच हेतु परिवहन कार्यालयों में वाहन निरीक्षण पिट की स्थापना कराना;</p> <p>(दस) सीएनजी चालित वाहनों की जाँच हेतु सचल जाँच संयंत्र उपलब्ध कराना।</p> <p>(ग्यारह) सुदृढ सड़क सुरक्षा का उपाय एवं यातायात प्रबन्धक के कोई अन्य कार्य जो कोष की प्रबन्धन समिति द्वारा उपयुक्त एवं लाभकारी समझा जाये।</p>
		<p>(ख) यातायात शिक्षा सम्बन्धित कार्य जो निम्नवत् होंगे :-</p> <p>(एक) अन्य विभागों के सहयोग से अथवा अन्यथा यातायात शिक्षा पार्कों की स्थापना करना;</p> <p>(दो) जनसामान्य में यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करना;</p> <p>(तीन) बच्चों के बीच यातायात नियमों की जानकारी कराने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना;</p> <p>(चार) यातायात प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कराना;</p> <p>(पाँच) यातायात शिक्षा से सम्बन्धित उपस्कर का क्रय एवं उनका रख-रखाव करना;</p> <p>(छः) आडियो-वीडियो उपस्करों/कम्प्यूटर एवं अन्य उपसाधन से युक्त यातायात प्रचार-प्रसार वाहन क्रय करना और जनसामान्य को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना;</p> <p>(सात) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनीयों का आयोजन करना;</p> <p>(आठ) "यातायात सप्ताह", "यातायात माह", "यातायात त्रैमास" तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे यातायात सेमिनार, बैठकों, रैली, प्रतियोगितायें एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम आदि उत्तर प्रदेश के जनपदों में आयोजित कराना;</p> <p>(नौ) यातायात सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के पुलिस, परिवहन, नगर विकास विभाग आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;</p> <p>(दस) प्रदेश के बड़े महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अध्ययन कराया जाना।</p>
		<p>(ग) यातायात प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य निम्नवत् होंगे :-</p> <p>आधुनिक यातायात प्रवर्तन उपकरणों आदि का क्रय, संचालन एवं रख-रखाव किया जाना।</p>
कोष की प्रबन्धन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की	11-	(1) परिवहन आयुक्त जिलों में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग के फील्ड आफीसर से प्राप्त स्वप्रेरणा से तैयार किये गये प्रस्ताव/योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे;

प्रक्रिया		(2) कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त पोषण के लिये औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों परिवहन विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।
कोष से वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व	12-	<p>(1) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों का समन्वय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा। कोष से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही-सही क्रियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा;</p> <p>(2) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी का होगा;</p> <p>(3) अनुमोदित कार्यों से सम्बन्धित क्रय के मामलों में स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।</p>
कोष का अनुरक्षण और सम्परीक्षा	13-	<p>(1) परिवहन आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों एवं कोषागार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा उसका पुनर्मिलान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद के अभिलेखों से किया जायेगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनों से सम्बन्धित आदेश समसामयिक रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिया जायेगा;</p> <p>(2) कोष में अन्तरित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/ अनुपयोजित धन का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखे से लोक लेखे की कोष को जो धनराशि अन्तरित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। अनुपयोजित होने की दशा में वह धनराशि कोष में बची रहेगी। ऐसी धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित नहीं किया जायेगा। अनुपयोजित होने की दशा में कोष से व्यय प्राविधानों के अनुसार कार्यात्मक शीर्ष (राजस्व या पूँजी व्यय, जैसी भी स्थिति हो) में की गयी ठीक नियमानुसार समर्पित किया जाना होगा;</p> <p>(3) कोष की धनराशि को किसी परियोजना में विनिवेश नहीं किया जायेगा वरन नियम-10 में उल्लिखित उपयोगी कार्य कराये जायेंगे;</p> <p>(4) इस लेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी;</p>

	<p>(5) कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा;</p> <p>(6) यदि कोष से आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यों/मदों में वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च नहीं की जा सकी है, तब अवशेष धनराशि का समर्पण निश्चित अवधि के भीतर लेखाशीर्ष में किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी;</p> <p>(7) यदि नियमावली में कोई उपान्तर/परिवर्तन/संशोधन करना हो, तो वह महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की पूर्व सहमति से किया जायेगा।</p>
--	---

आज्ञा से,
ह0
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-3**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 49 /2002/xxx-3-2014-32M/2013T.C., dated 24 July, 2014:

Notification

No. 49/2002/XXX-3-2014-32M/2013T.C.

Lucknow : Dated: 24 July, 2014

IN exercise of the powers under section-138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules after previous publication in the Gazette vide Government notification no. 41/1577/XXX-3-2014-32M/2013T.C., dated June 16, 2014 as required under sub-rule (1) of section 212 of the said Act.

THE UTTAR PRADESH ROAD SAFETY FUND RULES, 2014

Short title and commencement	1-	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Road Safety Fund Rules, 2014. (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Establishment of the Road Safety Fund and utilization thereof	2-	(1) There shall be established a Fund by the State Government with the object of strengthening road safety and implementation of road safety measures in Uttar Pradesh to be known as the Uttar Pradesh Road Safety Fund. (2) The amount credited to the Fund shall be utilized, (a) to take necessary steps for safe plying of vehicles and secure movement of road users on all National, State Highways and Urban Roads, (b) to identify accident prone places and take corrective measures for them, (c) to collect and analyze road accident data, (d) to take steps for making Licensing System of Motor Driving effective, (e) to impart knowledge of traffic rules and create awakening among the public, (f) to provide equipments for enforcement and controlling road accidents.
Definitions	3-	In these rules, unless the context otherwise requires-
		(a) "Fund" means the Uttar Pradesh Road Safety Fund; (b) "Financial Year" means a period of twelve months commencing on the first day of April of a calendar year. (c) "Act" means the Motor Vehicle Act, 1988. (d) "State" means the State of Uttar Pradesh.
Accounting and classification of Fund and Financial Procedure	4-	(1) The Fund shall be established by opening one separate subhead "03-Uttar Pradesh road safety fund" under Head of Account "8235-Samanya tatha anya arakshit nidhiyan-200-Anyanya nidhiyan-03-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh".

		(2)	The amount to be transferred to the Fund shall be shown under Grant no-26 of Home (Police) Department under the Head of Account "2055-Police-797-arakshit nidhiyon/jama lekhn ko antaran-04 Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh ko antaran-48-antarlekha sankraman and anudan sankhya-43-parivahan Vibhag ke lekha shirshak "3055-Sadak Parivahan-797-arakshit nidhiyon/jama lekhn ko antaran-04-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh ko antaran-48-antarlekha sankraman" shall be shown.
		(3)	<p>For expenditure from the Fund on the above noted objectives, the necessary provisions shall be made on the Home (Police) Department's-Grant No-26, Account head "2055-police-800-anya vaya-15-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh se vyaya-42-Anyanya vyaya" and "4055-Police par poonjigat parivaya-207-rajya police-13-Uttar Pradesh Sadak Surakcha Kosh se vyaya-26-machinein aur sajja/upkaran aur sanyantra" and Transport Department, Grant No.-43 "3055-Sadak Parivahan-800-anya vyaya-05-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh se vyaya-42-anya vyaya" and "5055-sadak parivahan par poonjigat parivyaya-800-anya vyay-05-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh se vyay-26-machinein aur sajja/upkaran aur sanyantra."</p> <p>The expenditure shall be debited to the above working head simultaneously and amount of the expenditure shall be shown under the working Head Part-4 and also in the amount completed from Uttar Pradesh Road Safety Fund.</p> <p>At the end of the year, the above spent amount shall be booked in the debit side of the head-"8235-Samanaya tatha anya arakshit nidhiyan-200-anya nidhiyon ke adhin ek prathak upshirsh" 03-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh" of the above fund.</p>
Source of Fund	5-	(1)	The entire amount collected by the Police and Transport Department by compounding under the Motor Vehicle Act, 1988 shall be deposited in the account Head "0041-Vahan kar-101-Bhartiya Motoryan Adhiniyam ke antargat praptiyan-02-Prashman shulk se praptiyan-03-jurmane aadi se praptiyan-0301-Parivahan vibhag dwara vasuli gayi dhanrashi-0302-Police vibhag (Yatayat police/Nagriik police) dwara vasuli gayi dhanrashi"
		(2)	50 percent of the amount which is collected in any financial year by this way, shall be deposited by the Transport and Police departments, by Budget provision in the next financial year, as per rule.
		(3)	If any financial contribution is made to the Fund by the Uttar Pradesh Government or the Government of India it shall also be deposited in the Fund.
Territorial limit	6-		Such works as are admissible under these rules shall be done in the whole of Uttar Pradesh.
Management Committee of the Fund	7-	(1)	The Administrative Department for the Fund shall be the Transport Department and the Fund shall be operated by the committee constituted as follows-
		1.	the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.
			Chairman

			2.	the Principal Secretary Home, Department of Uttar Pradesh.	Member
			3.	the Principal Secretary, Transport Department, Uttar Pradesh.	Member
			4.	the Principal Secretary, Medical and Health Department, Uttar Pradesh.	Member
			5.	the Principal Secretary, Finance Department, Uttar Pradesh.	Member
			6.	the Principal Secretary and LR Judicial Department, Uttar Pradesh.	Member
			7.	the Principal Secretary, Public Works Department, Uttar Pradesh.	Member
			8.	the Principal Secretary, Nagar Vikas Department, Uttar Pradesh.	Member
			9.	the Principal Secretary, Basic Education Department, Uttar Pradesh.	Member
			10.	the Director General of Police, Uttar Pradesh.	Member
			11.	the Transport Commissioner, Uttar Pradesh.	Secretary
			12.	the Director, Traffic Police, Uttar Pradesh.	Co-Secretary
			13.	the Member nominated by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.	Member
		(2)	This committee shall be called "The Management Committee of the Fund". All the members of the Committee shall be Ex-officio.		
		(3)	The Management Committee of the Fund shall meet at least once in every quarter of a Financial Year.		
		(4)	The quorum of a sitting of the Management Committee of the Fund shall be of six members.		
Rights and duties of the Management Committee of the Fund	8-	(1)	The Committee shall select and approve the schemes to be financed from this fund.		
		(2)	The Committee shall monitor the physical and financial progress of the sanctioned schemes.		
		(3)	The Committee shall ensure maintenance of accounts of the Fund in accordance with the rules.		
Conditions for the schemes to be financed from the Fund	9-	The conditions for the schemes to be financed from the Fund shall be as follows:-			
		(a)	Selection of the schemes shall be made on such norms as may be determined from time to time by the State Government;		
		(b)	Only such schemes/plans shall be financed from the amount of the Fund which may be completed in only one stretch;		

		(c)	Payment of the salaries of the general personnel and establishment/office expenditure of road safety cell shall be made from the Fund with approval of the management committee of the Fund;
		(d)	In no circumstances any amount from this Fund shall be invested under fixed deposit schemes or for giving loans for earning interest;
		(e)	The amount sanctioned from the Fund shall be utilized for the same purpose for which it has been sanctioned.
Scheme/Work to be done by the Fund	10-	The following schemes/works may be financed with the Fund:-	
		(a)	<u>Work related to road safety measures which shall be :-</u>
		(i)	to install mandatory/regulatory, cautionary and informative road signboards, various traffic signals etc. including their maintenance as per immediate local needs, in the interest of public safety and to reduce mortality in case of accidents, where it is not possible for other departments to install/maintain;
		(ii)	to set up "Road Accident Data Base Management System" for reporting and making analysis of road accidents data and controlling road accidents;
		(iii)	to reimburse expenditure incurred on the transportation of the injured persons in road accidents, to hospitals;
		(iv)	to purchase and maintain ambulances, other accessories, salary of driver and expenditure on fuel etc. of the ambulances, to provide immediate medical relief to persons injured in accidents; for the above purpose the expenditure to be made from the Grant No.43 of Parivahan vibhag lekhashirsha-"3055-Sadak parivahan-800-Anya vyaya -05-Uttar Pradesh Sadak Suraksha Kosh se vyay-42-Anya vyaya"
		(v)	to take corrective/reformatory measures after studying the causes of road accidents and identifying accident prone places;
		(vi)	to purchase and maintain equipments for traffic management and road safety;
		(vii)	to provide additional money to the Police Department for the maintenance and use of cranes available with them;
		(viii)	to set up Driving Test Track in Transport Offices for strengthening Driving License System;
		(ix)	to set up Vehicle Inspection Pits in Transport Offices for checking fitness of Commercial Vehicles.
		(x)	to provide Mobile Testing Equipments for checking of CNG operated vehicles;
		(xi)	to do any other work to strengthen road safety measures and traffic management which the Management Committee of the Fund deems proper and useful.
		(b)	<u>Work related to Traffic Education which shall be :-</u>
		(i)	to establish in collaboration with other departments or otherwise the traffic education parks;
		(ii)	to make wide publicity of traffic rules in public;

		(iii)	to organize various competitions amongst youngsters for imparting knowledge of traffic rules;
		(iv)	to prepare publicity materials related to traffic management;
		(v)	to purchase and maintain equipments related to traffic education;
		(vi)	to purchase publicity vans equipped with audio-video equipments/computer and other accessories and utilize them to impart traffic education to public at large;
		(vii)	to organize of road safety exhibitions;
		(viii)	to organize "Traffic Weeks", "Traffic Months", "Traffic Quarters" and other activities such as traffic seminars, meetings, rallies, competitions and other related programmes etc. in the districts of Uttar Pradesh;
		(ix)	to organize traffic related training for different ranks of police, transport and Nagar Vikas officers/staff;
		(x)	to conduct studies to improve Traffic Management for controlling road accidents in big cities of the State.
		(C)	<u>Work related to Traffic Enforcement which shall be:</u>
			to purchase, operate and maintain modern traffic enforcement equipments etc.
Procedure for submission of proposals to the Management Committee of the Fund	11-	(1)	The Transport Commissioner shall put up proposals/ schemes received from the field officers of transport, police, public works departments in districts or prepared suo-moto before the Management Committee of the Fund after due examination;
		(2)	Formal administrative and financial sanction shall be issued by the Transport Department for financing the schemes/projects after approval thereof from the Management Committee of the Fund;
Responsibilities for execution of schemes financed from the Fund	12-	(1)	The Transport Commissioner shall co-ordinate the necessary work related to the successful execution of schemes. The Head of Department concerned shall be responsible for implementing and regular monitoring of construction, maintenance and repairs of useful equipments financed from the Fund;
		(2)	Heads of the departments concerned shall be responsible for successful implementation of schemes within the area of their respective jurisdiction. They shall supervise, monitor and review physical and financial progress of the schemes. The senior most district level officer of respective department shall also be responsible for issuing completion certificate of the scheme;
		(3)	Store Purchase Rules and other Government Orders issued from time to time shall be complied with in the cases of purchases with respect to the approved works.
Maintenance of Fund and Audit	13-	(1)	Finance Controller in the Transport Commissioner office shall properly maintain accounts of the expenditure incurred from the Fund in accordance with the provisions of U.P. Financial Hand Book and the Treasury Rules and accounts be reconciled with the records of the office

			of Accountant General (Accounts and Entitlements) I, Allahabad. Before the closer of annual accounts, performance of reconcile work and making available the orders relating to adjustments to the Accountant General (Accounts and Entitlements) I, Allahabad shall be done simultaneously;
		(2)	With regard to the surrender of the balance/unutilized money left in the fund to the Consolidated Fund of the State from the amount transferred to the Fund at the end of the Financial Year, the arrangement shall be that such expenditure be incurred as per rules from the amount transferred from Revenue Account to the Public Account of the Fund. The amount shall remain in the Fund in case it is unutilized. Such amount shall not be surrendered at the end of the Financial Year. In case of unutilized amount as the provisions of expenditure from the Fund under operating Head (Revenue or Capital Expenditure as the case may be), the same shall be surrendered as per rule;
		(3)	The amount of the Fund shall not be invested in any scheme rather it shall be utilized for the works mentioned in rule-10;
		(4)	These accounts shall be audited by the Accountant General (Audit), Uttar Pradesh, Allahabad;
		(5)	Detailed report of income of, and the expenditure from, the Fund shall be submitted by Transport Commissioner, Uttar Pradesh to the State Government from time to time and as may be required;
		(6)	If the amount allotted from the Fund for the works/heads in a Financial Year is not spent in the end of the Financial Year, the balance amount shall be surrendered under appropriate account head within the stipulated period and the information regarding the same shall be made available to the office of Accountant General (Accounts and Entitlements) (1), Uttar Pradesh, Allahabad;
		(7)	If any modification/change/amendment is to be made in these rules it may be done with the prior consent of the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

By Order,

sd/-

(Kumar Arvind Singh Dev)

Principal Secretary.